रजिस्टर्ड सं. डी-(डी एन)-128/89

REGISTERED No. D—(DN)—128/89

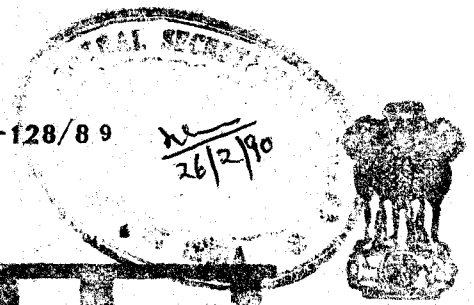

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1989 (पौष 2, 1911)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1989 (PAUSA 2, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	821
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1287
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1769
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1133
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1207
भाग III—अखण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1841
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	183
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निभाने वाली अनुपूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	821
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1287
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1769
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1133
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1207
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1841
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	183
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio (s) not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1989

सं० 93-प्रेज/89—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति, का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम नन्दन शर्मा,

पुलिस उप-निरीक्षक,

गिरिडीह,

बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 जुलाई, 1988 को लगभग, 4.00 बजे शाम को तनुघाट गोमिया मार्ग पर दिन दहाड़े लूटपाट की गई, जिसमें लूटपाट करने के उपरान्त तीन अपराधी लूटी हुई मोटर साईकिल पर सवार होकर भाग निकले। स्थानीय लोगों द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर अपराधियों ने मोटर साईकिल को वहीं छोड़ दिया तथा निकट के क्षेत्र में शरण ले ली। बाद में इस बात का पता चला कि अपराधी धर्मासिन्ध गांव के एक मकान में छुपे हुए हैं तथा ग्राम वासियों द्वारा ललकारे जाने पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और गांव से भाग निकले। उस समय तक पुलिस ने उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया था तथा अपराधियों को खोज रही थी जिनका हुलिया पुलिस को दे दिया गया था। उप-निरीक्षक राम नन्दन शर्मा और कान्सटेबल सुलेमान ने अचानक तनुघाट बैरेज रोड पर हुलिए से मेल खाता एक व्यक्ति देखा जोकि स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रहा था। ललकारे जाने पर अज्ञात व्यक्ति ने भागना शुरू कर दिया। उप-निरीक्षक राम नन्दन शर्मा भी अपराधी के पीछे भागे। पीछा किये जाने के दौरान अपराधी अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और श्री राम नन्दन शर्मा पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी छाती जांघ और गुप्तांगों में गहरे घाव हो गए। निर्भीक श्री राम नन्दन शर्मा ने अपना सर्विस रिवाल्वर निकाला और अपराधी पर तीन गोलियां चलाकर उसे घटना स्थल पर ही मार डाला। अपराधी की राजू उर्फ अनिल कुमार जायसवाल के रूप में शिनाख्त हुई, जिसके विरुद्ध एक पुलिस हवालदार की हत्या के मामले सहित हत्या/लूटपाट के कई मामले लम्बित थे। मृतक अपराधी से .32 बोर का इंग्लैण्ड में बना वेबली और स्काट रिवाल्वर बरामद किया गया। श्री राम नन्दन शर्मा को तब बोकारो जनरल अस्पताल और फिर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राम नन्दन शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 94-प्रेज/89—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद:

श्री पारस नाथ सिंह,

कान्सटेबल सं० 294,

जिला सिवान,

बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 अप्रैल, 1985 को पुलिस स्टेशन मैरवा, जिला सिवान, के प्रभारी अधिकारी को सूचना मिली कि जिला बलिया का डाकू बली राम पाण्डेय अपने साथियों सहित ग्राम बरका भाटी के नन्द किशोर दूबे नामक व्यक्ति के घर में छुपा हुआ है तथा ग्राम सिवालापुर के श्री पूजा सिंह के घर में डाका डालने की योजना बना रहा है। पुलिस स्टेशन मैरवा के प्रभारी अधिकारी ने तुरन्त एक सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, कान्स्टेबल पारस नाथ सिंह और नौ अन्य पुलिस कार्मिकों के सहित एक छापामार दल का गठन किया और डाकुओं के छुपने के स्थान की ओर रवाना हुए।

जब पुलिस दल श्री दूबे के घर के निकट पहुंचा तो गृहस्वामी ने पुलिस कार्मिकों को देखते ही दरवाजा अन्दर से बंद कर दिया। पुलिस दल समय गंवाए बिना दरवाजा तोड़ कर घर में दाखिल हो गया। पुलिस के अचानक आ जाने से घर में छुपा हुआ डाकुओं का गिरोह पूरी तरह निरुत्साहित हो गया। डाकुओं ने गोली चला दी जिससे प्रभारी अधिकारी घायल हो गए और अपने जवानों को स्थिति संभालने तथा जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं और इस दौरान एक डाकू अच्छेलाल सहायक पुलिस उप-निरीक्षक से बन्दूक छीनने में सफल हो गया। यह देखकर कान्स्टेबल पारस नाथ सिंह जोकि छर्रों से घायल हो गए थे, ने असाधारण साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया और आगे बढ़कर अपनी मस्कट से गोली चलाई जिससे डाकू अच्छेलाल घायल हो गया और घायल होने के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कान्स्टेबल पारस नाथ सिंह के इस साहसिक कार्य से ही सहायक पुलिस उप-निरीक्षक की जान बची और उसकी बन्दूक बरामद हुई। प्रभारी अधिकारी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से डाकुओं के गिरोह के सरगना डाकू बली राम पाण्डेय को पांच गोलियां मार कर उस पर काबू पा लिया। डाकू बली राम पाण्डेय और अच्छेलाल के कब्जे से एक देसी बन्दूक तथा 15 कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री पारस नाथ सिंह कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अप्रैल, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 95-प्रेज०-89—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री मिथिलेश कुमार,
पुलिस निरीक्षक,
जामतारा सर्किल,
जिला दुमका,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8/9 मई, 1988 की रात को लगभग 3.30 बजे निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने जामतारा पुलिस स्टेशन के चौकीदार महाधर को लघु सिंचाई विभाग जामतारा के गोदाम में एक डकैती डाले जाने के बारे में जोर से चिल्लाते हुए सुना। वे तुरन्त जीप में पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुए और वहां से चार सशस्त्र कान्स्टेबलों को साथ लेकर घटना-स्थल पर पहुंचे। उन्होंने एक ट्रक को गोदाम से बाहर निकलते हुए देखा, जिसमें कुछ आदमी बैठे थे। ट्रक के चालक को रुकने का संकेत दिया गया परन्तु वह उसे जामतारा दुमका रोड की ओर आगे ले गया। श्री मिथिलेश कुमार ने जो खुद जीप चला रहे थे, ट्रक का पीछा करना शुरू किया। जब उन्होंने ट्रक के आगे आने की कोशिश की तो वह ट्रक को सड़क के दोनों ओर घुमाते हुए चलाने लगा। निरीक्षक को अपना पीछा करने से रोकने के लिए एक अपराधी ने ट्रक से उन पर गोली चला दी। जब अपराधी ने देखा कि पुलिस की जीप ट्रक का पीछा करना नहीं छोड़ रही है तो उसने बागदाह मोड़ के पास जीप पर और गोलियां चलाईं। श्री मिथिलेश कुमार ने भी जवाब में अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई। ट्रक नाला फतेहपुर रोड की ओर मुड़ गया। ट्रक चालक मार्ग से पूरी तरह अवगत नहीं था और अपराधी पुलिस जीप को अपने पीछे आते देखकर हतोत्साहित हो रहे थे। चालक ने ट्रक को फतेहपुर बाह्य चौकी की ओर मोड़ दिया परन्तु वह फतेहपुर बाजार चौक से आगे नहीं जा सका। अपराधियों ने पुलिस जीप पर कुछ और गोलियां चलाने के बाद ट्रक से भाग निकलने की कोशिश की परन्तु श्री मिथिलेश कुमार ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से उन पर दुबारा गोली चलाई। अपराधियों और पुलिस दल के बीच कुछ देर तक गोली बारी होती रही। तब भी अपराधियों ने आत्म समर्पण नहीं किया और अपराधियों और पुलिस दल के बीच हाथापाई के दौरान सोलह अपराधियों को दबोच लिया गया। लगभग 4-5 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये।

दो अपराधियों को गोली बारी के दौरान चोटें आईं तथा एक अपराधी को हाथापाई के दौरान चोट लगी। दो कान्स्टेबल भी घायल हुए ट्रक की जांच करने पर पाया गया कि इसमें एक लाख रुपये, मूल्य के जी० आई० पाईप के 48 पीस लदे हुए थे।

इस मुठभेड़ में श्री मिथिलेश कुमार, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 मई, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 96-प्रेज०-89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री माल सिंह,
निरीक्षक सं० 680413552,
12 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री अब्दुल रहमान,
लांस नायक सं० 710121244,
12 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सुरेश काम्बले,
कान्स्टेबल सं० 800643597,
12वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

11 जनवरी, 1988 को 12वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रायां, जिला अमृतसर के मुख्यालय को सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार आतंकवादी गुरबचन सिंह मनोचाहल अपने साथियों समेत, गांव बट के नजदीक पूरण सिंह के फार्म हाउस में छिपा हुआ है। 12 वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमाण्डेन्ट तीन टुकड़ियों के साथ (निरीक्षक माल सिंह, लांसनायक अब्दुल रहमान तथा कान्स्टेबल सुरेश काम्बलेसमेत) उनके छिपने के स्थान की ओर तेजी से रवाना हुए। रास्ते में थाना जंडियाला के थानेदार तथा पुलिस के कुछ जवान भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मिल गए। पूरण सिंह का फार्म हाउस गांव बट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सिंचाई नाले के पास खुले खेत में है। रहस्य बनाए रखने के लिए पुलिस वाहनों को बट गांव के पास रोक दिया गया था। पुलिस बल को फार्म हाउस को घेरने के लिए चार समूहों में बांटा गया। पहले समूह, जिसमें निरीक्षक माल सिंह, लांस नायक अब्दुल रहमान तथा कान्स्टेबल सुरेश काम्बले थे, को दांयी ओर से आगे बढ़ने तथा नाले के किनारे पर मोर्चा संभालने और विच्छेदी समूह के रूप में काम करने के लिए तैनात किया गया। अन्य समूहों ने पहले समूह का अनुसरण किया। पुलिस बल को देखते ही आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से तुरन्त गोलियां चलायीं और नाले की तरफ भागे। समझा जाता है कि घोड़े पर सवार होकर भागने वाला पहला व्यक्ति गुरबचन सिंह मनोचाहल था। शेष भागते हुए पांच आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। पुलिस दल ने तुरन्त जवाब में गोली चलायी और भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया। इसी दौरान आतंकवादियों ने नाले को पार किया और खड़ी फसल का फायदा उठाते हुए गांव मानचेरी की ओर भाग गए। निरीक्षक माल सिंह, लांसनायक अब्दुल रहमान तथा कान्स्टेबल सुरेश काम्बले नाला पार करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवादियों का सरगर्मी से पीछा किया। भागते हुए आतंकवादियों ने पीछे मुड़कर पुलिस दल पर गोलियां चलाईं। निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए निडर होकर उन्होंने उनका पीछा करना जारी रखा। तीन आतंकवादी गांव मानचेरी की तरफ भाग गए जबकि दो ने खेतों में मोर्चा संभाला। एक आतंकवादी ने फसल में से अचानक उठकर निरीक्षक माल सिंह तथा कान्स्टेबल सुरेश काम्बले की ओर 8-10 राउण्ड गोलियों की बौछार कर दी भाग्यवश उन्हें कोई गोली नहीं लगी, यद्यपि, वे पूरी तरह से गोलियों की रेंज में तथा सामने थे। आतंकवादियों को पुनः गोली चलाने का मौका दिए बिना सर्वश्री माल सिंह तथा सुरेश काम्बले ने आतंकवादी पर इकट्ठे गोलियां चलायी और उसे मार गिराया।

इसी दौरान लांस नायक अब्दुल रहमान ने दूसरे आतंकवादी को देखा और उसका पीछा किया। आतंकवादी ने स्थिति संभालने के बाद एक ग्रिनेड फेंका जो लांस नायक अब्दुल रहमान से लगभग 20 गज की दूरी पर फटा। उन्होंने बिजली की सी तेजी से मोर्चा संभाला और अपने आपको बचा लिया। श्री अब्दुल रहमान संकरे नाले में से लगभग 30-35 गज रेंग कर आगे बढ़े और उन्होंने आतंकवादी की ओर एच० ई० 36 हथगोला फेंका। उन्होंने आतंकवादी पर कुछ गोलियां भी चलायीं जिसके परिणाम स्वरूप वह घटनास्थल पर ही मारा गया। मुठभेड़ में मारे गये आतंकवादियों की बाद में शिनाख्त होने पर पता चला कि कि वे दया सिंह तथा बलबीर सिंह थे जिनकी पुलिस को अनेक जघन्य अपराधों में शामिल होने के जुर्म में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री माल सिंह, निरीक्षक, श्री अब्दुल रहमान, लांस नायक और श्री सुरेश काम्बले, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जनवरी, 1988 से दिया जायेगा।

सं० 97-प्रेज/89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री दया राम,
लांस नायक संख्या 690242953
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री सुरेश प्रसाद सिंह,
कान्स्टेबल संख्या 850841415,
24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7 दिसम्बर, 1987 को एक गश्ती दल, जिसका नेतृत्व निरीक्षक, बी० एस० बिष्ट, 24वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर रहे थे, पुलिस दल (लांस नायक दया राम और कान्स्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह समेत) को साथ लेकर, हर्षछीना, बग्गा खुर्द झनज्योत्ति, तुलानगल तथा बरनाली गांवों की जांच करने गया । जब पुलिस दल लाहौरी केनाल रोड, पर बग्गा गांव के नजदीक पहुचा तो उन्हें तीन व्यक्ति विपरीत दिशा से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस जीप को आते हुए देखकर उन्होंने विभिन्न दिशाओं में भागना शुरू कर दिया। सभी पुलिस कर्मियों ने जीप से कूदकर संदिग्ध व्यक्तियों के पीछे भागना शुरू कर दिया। लांस नायक दया राम और कान्स्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह ने तीन अन्यों के साथ दो आतंकवादियों का पीछा किया जो शिना शाहबाजपुर गांव की ओर जा रहे थे जबकि एक कान्स्टेबल को साथ लेकर निरीक्षक ने तीसरे आतंकवादी का पीछा किया जो तुलानगल गांव की ओर नहर के साथ-साथ भाग रहा था । आतंकवादी अपने साथ अपने हथियार लाए हुए थे जिन्हें उन्होंने शाल के अन्दर छिपा रखा था और उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी । लांस नायक दया राम ने अपने दल के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप रुक-रुक कर गोलाबारी होती रही। भागते हुए आतंकवादियों में से एक शिबा शाहबाज पुर गांव में घुस गया और अन्य खाली खेतों की ओर भागे । लांस नायक दया राम और कान्स्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह ने उस आतंकवादी का पीछा किया जो गांव में घुसा था । शेष पुलिस कर्मिकों ने दूसरे आतंकवादी का पीछा किया।

गांव में घुसे आतंकवादी ने एक मकान की चार दीवारी के पीछे से पुलिस दल पर अपनी स्टेनगन से गोली चलानी शुरू कर दी। सर्व श्री दयाराम और सुरेश प्रसाद सिंह ने अपने आप को प्राकृतिक आड़ में छिपा लिया। जब वे उस स्थान पर पहुचे जहां से वे आतंकवादी को कारगर ढंग से रोक सकते थे तो तब श्री दयाराम ने कान्स्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह को आतंकवादी को उसके छुपने के स्थान से बाहर निकालने के लिए विपरीत दिशा से घर में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस बीच लगातार गोली चलाकर उसने आतंकवादी को रोके रखा । इससे कान्स्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह को उस घर तक, बिना दिखे पहुंचने में आसानी हुई। जैसे ही उन्होंने चार दीवारी को पार किया आतंकवादी ने उन्हे देख लिया और उन पर गोली चला दी। उनकी जांघ पर दो गोलियां लगी परन्तु गोली लगने से हुए घावों की परवाह न करते हुए उन्होंने तुरन्त कार्रवाई की और इससे पहले कि आतंकवादी दुबारा गोली चलाता, उन्होंने अपने एस० एल० आर० से आतंकवादी के सिर में तीन गोलियां दाग दी। आतंकवादी घटना स्थल पर ही मारा गया। मृत आतंकवादी की बाद में शिनाख्त होने पर पता चला कि वह कुलदीप सिंह था जिसकी पुलिस को दो दर्जन से अधिक हत्या के मामलों में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री दयाराम लांस नायक और श्री सुरेश प्रसाद सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 दिसम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 98 प्रेज/89—राष्ट्रपती, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वरीता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :—

श्री सुरेन्द्र सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
(सं० 136/एफ० आर०)
फिरोजपुर,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

31 अक्तूबर, 1987 को जब कोट—इसे खान पुलिस चौकी के प्रभारी पुलिस उप-निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह ड्यूटी पर थे तो उन्होंने दिन के लगभग 1.30 बजे मार्किट में गोली चलने की अवाज सुनी । वे उपलब्ध बल और केन्द्रीय रिजर्स पुलिस बल की एक टुकड़ी के साथ घटनास्थल की ओर गए। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि तीन स्कूटर सवार युवक कामरेड रामकिशन को गोली से खत्म करके तथा 3/4 व्यक्तियों को जख्मी करके भाग गए हैं। श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक ने भाग रहे उग्रवादियों का तत्काल पीछा किया। जब पुलिस दल स्कूटर के नजदीक पहुंचा तो पीछे बैठे उग्रवादी ने पुलिस पर गोली चलायी । एक गोली श्री सुरेन्द्र सिंह के पेट में दाहिनी तरफ लगी लेकिन उन्होंने पीछा करना जारी रखा और अपने दल को उग्रवादियों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया। पुलिस दल द्वारा प्रभावकारी गोली चलाय जाने के परिणामस्वरूप एक अभियुक्त मारा गया और स्कूटर से गिर गया। बाद में मृत उग्रवादी की शिनाख्त थाना धर्म कोट के सुखविन्दर सिंह के रूप में की गयी ।

शेष उग्रवादियों ने स्कूटर छोड़कर खेतों में भागना शुरू कर दिया और एक कोठे में मोर्चा संभाला, जिसमें ट्यूब-बैल लगा था और पीछा कर रहे पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । 15 मिनट तक दोनों तरफ से गोला-बारी होने के बाद एक उग्रवादी का मृत पाया गया, जिसकी बाद में जगरूप सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी जबकि तीसरा उग्रवादी भागने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 99 प्रेज/89—राष्ट्रपती, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :—

श्री हरेन्द्र सिंह,
लांस नायक, दसवीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस,
मेर्थी, जिला पिथौरागढ़ ।

श्री ओम प्रकाश,
कान्स्टेबल दसवीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस,
मेर्थी, जिला पिथौरागढ़ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7 जनवरी, 1989 को प्रातः लगभग 4·30 बजे, जब सेना/एस० पी० एफ० गश्ती दल के कुछ सदस्य अपने अस्थाई आवास/बंकरों में सोये हुए थे, तो बुगडियार क्षेत्र में एक भयंकर तूफान आया, जिसके साथ जबरदस्त हिमपात हुआ जिसके फलस्वरूप सेना/एस० पी० एफ० के अस्थाई आवास और बंकर ढक गए और कुछ ही क्षणों में उनमें सोए सैनिक/एस० पी० एफ० के कार्मिक बर्फ के नीचे दब गए। वे इससे बुरी तरह भयभीत हो गये और गहरी बर्फ से बाहर नहीं आसके । उस समय वहां बिजली और बादलों की

गड़गड़ाहट के साथ तेज बर्फ गिर रही थी । बर्फानी तूफान की आवाज सुनकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पार्टी के नेता सूबेदार पीताम्बर दत्त नींद से उठ गए और लांस नायक हरन्दर सिंह, कान्स्टेबल ओम प्रकाश तथा दल के अन्य सदस्यों के साथ घटना स्थल पर गए ताकि वे सेना/एस० पी० एफ० गश्ती दल के बर्फ में दबे और सहायता के लिए चिल्ला रहे सदस्यों को बचा सकें। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस दल के सदस्य कमर तक ऊंची बर्फ में घंटों तक लगातार बचाव कार्य करते रहे। वे सेना/एस० पी० एफ० के 6 सदस्यों को बाहर निकालने में सफल हुए। जब बचाव दल के सदस्य सेना/एस० पी० एफ० के शेष लोगों को ढूंढने में लगे हुए थे, तो अचानक उतना ही उग्र एक और बर्फानी तूफान आया और समस्त शिविर क्षेत्र बर्फ से ढक गया। इस तरह से दबे हुए शेष उन लोगों को खोजना असम्भव हो गया, जो अभी तक बर्फ के नीचे दबे हुए थे ।

स्थिति को अपने नियन्त्रण से बाहर आते हुए, सूबेदार ने जवानों को सलाह दी कि वे अपने लिए रास्ता बनाते हुए लीलम लौट जाएं। इसके पश्चात् लांस नायक हरेन्दर सिंह और कान्स्टेबल ओम प्रकाश लीलम चौकी जाकर लीलम के शिविर में एस० पी० एफ० कार्मिकों को सूचना देने के लिए तैयार हो गए। पांच दिनों तक अथक प्रयत्न करने के बाद वे लीलम स्थित एस० पी० एफ० , के शिविर में 14-1-1989 को 18.15 बजे पहुंचे और बुगडियार में हो रही तबाही के बारे में सूचित किया। सेना एस० पी० एफ० के जवान तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने शेष बचे हुए सैनिकों/एस० पी० एफ० और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के घायल जवानों को, जो 7-1-1989 सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, बचाया।

इस बचाव अभियान में सर्व श्री हरेन्दर सिंह, लांस नायक और ओम प्रकाश कान्सटेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैतथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 100 प्रेज/89—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री भूपिन्दर सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 1507/एन० डब्ल्यू,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

6 दिसम्बर, 1988 को जब कान्स्टेबल भूपिन्दर सिंह अपने साथी कांस्टेबल ओंकार सिंह के साथ थाना जहांगीरपुरी क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने मदन लाल, सरदारी लाल तथा मोहन दास नामक तीन बदमाशों को स्मैक बेचते हुए देखा । कान्स्टेबल भूपिन्दर सिंह, ने उन्हें बताया कि उनके विरुद्ध स्मैक बेचने की कुछ शिकायतें हैं, इसलिए उन्हें थानेदार के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए जहांगीरपुरी थाना चलने के लिए कहा। तीनों अभियुक्तों ने वहां जाने का प्रतिरोध किया और हाथापाई हो गई। तीनों कान्स्टेबलों ने उन पर काबू पाने की कोशिश की परन्तु इसी दौरान मदन लाल ने छुरा निकाला और भूपिन्दर सिंह की छाती में बाई ओर घुसेड़ दिया और भाग गया। अपनी चोट की परवाह किए बिना कान्स्टेबल भूपिन्दर सिंह ने लगभग 20-25 गज तक उनका पीछा करने की कोशिश की परन्तु अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण वे जमीन पर गिर गए। हमलावरों ने कान्स्टेबल ओंकार सिंह पर भी हमला करने की कोशिश की परन्तु उन्होंने अपने आपको लाठी के सहायता से बचा लिया और शोर मचा दिया। कान्स्टेबल ओंकार सिंह ने भी उनका पीछा किया परन्तु वे डी० डी० ए० फ्लैटों की तरफ भागे अंधेरे धेकी आड़ में बच कर भाग गये । कान्स्टेबल भूपिन्दर सिंह को हिन्दुराव अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस घटना में श्री भुपिन्दर सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 101-प्रेज/89—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए विशेष पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों का नाम तथा पद :—

श्री गुरजन्त सिंह,
हैड कान्स्टेबल (सं० 1019/एल० डी० एच०)
जिला लुधियाना,
पंजाब ।

श्री चंचल सिंह, (मरणोपरान्त)
कान्स्टेबल (सं० 2010/एल० डी० एच०),
जिला लुधियाना,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

23 जून, 1988 की शाम को सर्वश्री गुरजन्त सिंह, हैड कान्स्टेबल, तथा चंचल सिंह, कान्स्टेबल गश्त ड्यूटी पर थे । जब वे पुलिस डिवीजन संख्या 6, लुधियाना के क्षेत्राधिकार में संगीत सिनेमा के मालिक की कोठी के सामने पहुंचे तो दो सिख युवकों ने उन पर गोलियां चलाई । दोनों पुलिस अधिकारियों ने अपनी स्टैन-गन तथा रिवाल्वर से जवाब में गोलियां चलाई । दोनों ओर से हुई गोली-बारी के परिणामस्वरूप हैड कांस्टेबल गुरजन्त सिंह को चोटें आयी तथा उन दो हमला-वरों में से एक गिर गया । दूसरा घटना स्थल से प्रताप चौक की तरफ भाग गया। घायल कान्स्टेबल चंचल सिंह ने भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया परन्तु वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सका । वे गिर पड़े और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी । गोलियां लगने के कारण गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण हैड कान्स्टेबल गुरजन्त सिंह को क्रिश्चयन मैडिकल कालेज तथा ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना में लाया गया । मृत आतंकवादी की शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वह थाना पायल, जिला लुधियाना का निवासी मंजीत सिंह उर्फ जीती था । वह पांच आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त था । मृतक मंजीत सिंह के कब्जे से तीन सक्रिय तथा तीन खाली कारतूसों समेत एक 38 बोर की रिवाल्वर बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री गुरजन्त सिंह, हैड कान्स्टेबल और श्री चंचल सिंह, कान्स्टेबल ने अदम्य शौर्य, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत बीरता के लिए दिये, जा रहे हैं । तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जून 1988 से दिया जायगा ।

राजीव महर्षि, राष्ट्रपति का उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर 1989

सं० 16(19)-पी० डी०-89—भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 30 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या 16(1)-पी० डी०-75 द्वारा उद्घोषित गैर-सरकारी भविष्य, अधिवर्षता और उपदान निधियों के लिए विशेष जमा योजना, जिसे उनके दिनांक 12-6-1985 की अधिसूचना सख्या 16(8)-पी० डी०-84 द्वारा विस्तार किया गया, में निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन पहली जनवरी, 1990 से प्रवृत्त होगा । 6 पैरा, जिसे दिनांक 29-10-86 की अधिसूचना संख्या 16(12)-पी० डी०-86 द्वारा संशोधित किया गया, के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. ब्याज दैनिक जमा इतिशेष पर जमा की वास्तविक तारीख से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से लगेगा ।

ब्याज प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को अदा किया जाएगा, लेकिन इस योजना के समाप्त होने से पूर्व जमा राशि की वापसी के मामले में, जैसा कि नीचे पैरा 9 में अनुबद्ध हैं अथवा जैसा कि नीचे के पैरा 10 में अनुबद्ध हैं, शेष अवधि का ब्याज जमा की राशि के साथ अदा किया जाएगा।

लेकिन ऊपर विनिर्दिष्ट ब्याज की दर को केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व-सूचना के बदला अथवा परिवर्तित किया जा सकता हैं, यदि भारत सरकार की राय में ऐसा परिवर्तन करना जरूरी हो। परन्तु ब्याज की दर में ऐसा कोई परिवर्तन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित तारीख अथवा तारीखों से भावी रूप से लागू होगा।

ए० एस० राय, उप-सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1989

संकल्प

विषय : "राष्ट्रीय ओपन स्कूल सोसाइटी" की स्थापना।

सं० एफ० 6-2/89-यू० टी० स्कूल-3—भारत सरकार एतद्द्वारा स्कूल स्तर पर दुरस्थ तथा ओपन अध्ययन पद्धति के उपयुक्त विकास के लिए "राष्ट्रीय ओपन स्कूल सोसाइटी" स्थापित करने के संकल्प को पारित करती हैं ।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

जिन लक्ष्यों एव उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) सम्बन्धित सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में, देश में, स्कूल स्तर पर, दूरस्थ तथा ओपन अध्ययन पद्धति के उपयुक्त विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्यों को, ठोस व्यावसायिक सलाह देना;

(2) स्कूल स्तर पर (मिडिल, माध्यमिक अथवा वरिष्ठ माध्यमिक) प्रमाणन से सम्बन्धित अथवा प्रमाणन के बगैर, सामान्य अथवा अनवरत शिक्षा के प्रयोजनार्थ, अध्ययन के पाठ्यक्रमों के व्यापक वर्णक्रम विकसित करना और निर्धारित करना अथवा प्रदान करना;

(3) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करना और निर्धारित करना अथवा ओपन माध्यम के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(4) मुद्रण, श्रवण तथा वीडियो सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन सामग्रियां विकसित करना;

(5) उन ऐजेन्सियों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग करना जो छात्रों को अध्ययन सहायता प्रदान करने और इस प्रकार के अध्ययन सहायता केन्द्रों अथवा अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दिलाने के लिए इच्छुक होंगी।

(6) अध्ययन सहायता अथवा अध्ययन केन्द्रों के उपयुक्त कार्यकरण की देखभाल करने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना;

(7) राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा विकसित अध्ययन तथा अन्य सामग्रियों को प्रकाशित करने अथवा प्रकाशित करने के प्रयोजनार्थ और मुद्रित करने के लिए;

(8) छात्रों के पंजीकरण, परीक्षाओं में बैठने की पात्रता तथा ऐसे ही अनुरूप अन्य सभी मामलों को अभिशासित करने तथा अध्यापन की उपयुक्त प्रतिपूर्ति करने के लिए आश्वयक नियमों और शर्तों को निर्धारित करना;

(9) समय-समय पर यथा संशोधित, नियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार के भुगतान की मांग करना तथा उन्हें निर्धारित करना।

(10) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के प्रशासन तथा प्रबन्ध को, इसकी सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं के साथ अपने अधिकार में लेना और इसे सोसाइटी में समाविष्ट करना;

(11) कार्मिकों, सोसाइटी के स्टाफ के प्रशासन के लिए सेवा नियमों तथा उप नियमों को बनाना, तथा स्टाफ के लिए कल्याण उपायों सहित तथा इन्हें समय-समय पर संशोधित करने के लिए सोसाइटी में निहित अनेक प्रकार्यों तथा उत्तरदायित्वों के उपयुक्त प्रबन्ध के लिए नियमों तथा उप नियमों को बनाना;

(12) ऐसे सभी विधिसंगत कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों के अनरूप हों अथवा न हो, जैसे भी सोसाइटी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हों।

3. सोसाइटी, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय होगी।

4. सोसाइटी में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) राष्ट्रीय स्कूल का अध्यक्ष जिसे भारत सरकार द्वारा उन शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जिन्हें सरकार तय करे।

(ख) राष्ट्रीय स्कूल का उपाध्यक्ष जो निदेशक (शैक्षिक) होगा तथा उपाध्यक्ष के रूप में पदेन पदनामित होगा।

(ग) सचिव, सचिव राष्ट्रीय स्कूल जो सोसाइटी का पदेन सचिव होगा।

(घ) राष्ट्रीय स्कूल के विभागाध्यक्ष, अर्थात्
निदेशक (शैक्षिक)
सचिव (प्रशासन)
परीक्षा नियन्त्रक

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का मनोनीत व्यक्ति।

(च) भारत सरकार, सम्बन्धित मंत्रालय-विभाग के समेकित वित्त प्रभाग का मनोनीत व्यक्ति।

(छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान तथा प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि।

(ज) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान का एक प्रतिनिधि।

(झ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक प्रतिनिधि।

( ) तीन मनोनीत व्यक्ति जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से एक-एक होगा।

(ट) महिला तथा बाल विकास विभाग का मनोनीत व्यक्ति।

(ठ) कल्याण मंत्रालय का मनोनीत व्यक्ति।

(ड) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि।

(ढ़) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का महानिदेशक अथवा मनोनीत व्यक्ति।

(ण) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का मनोनीत व्यक्ति।

(त) सचिव (शिक्षा), दिल्ली प्रशासन का मनोनीत व्यक्ति।

(थ) राज्यों में ओपन स्कूलों/पत्राचार स्कूलों का निदेशक/प्रतिनिधि।

(द) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा मनोनीत व्यक्ति।

(ध) निदेशक नवोदय विद्यालय समिति अथवा मनोनीत व्यक्ति।

(न) एस० एन० डी० टी०, बम्बई के कुलपति का मनोनीत व्यक्ति।

(प) उन उद्योगों के दो प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय स्कूल द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं।

(फ) उपर्युक्त शामिल न किए गए, कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य।

(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो विशेषज्ञ/प्रतिष्ठित शिक्षाविद।

5. सोसाइटी के सदस्य सोसाइटी की महासभा के सदस्य होंगे। सोसाइटी की भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों द्वारा सहायता की जाएगी।

6. सोसाइटी को गुरुत्व तथा व्यावसायिक सलाह और परामर्श देने का उत्तरदायित्व महा सभा में निहित होगा। इसके अतिरिक्त, एक कार्यकारी बोर्ड होगा जिसे उप नियम बनाने तथा तैयार करने का अधिकार होगा तथा जो पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता की बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित उपलब्ध करा सकता है :—

(1) बजट–प्राक्कलनों को तैयार करने तथा उनकी संस्वीकृति, व्यय संस्वीकृत करना, संविदाओं को करने तथा उनके निष्पादन, सोसाइटी की निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों की बिक्री तथा उनमें परिवर्तन और लेखे तथा लेखा–परीक्षा;

(2) विभिन्न समितियों, जो इसके द्वारा समय समय पर गठित की जायेंगी, के कार्य के अधिकारों, प्रकार्यों तथा संचालन और उनके सदस्यों की कार्यालय–अवधि को परिभाषित करना;

(3) शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी, पर्यवेक्षी अथवा सचिवालयीय जैसी विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन करने के लिए तथा ऐसे पदों के लिए व्यक्तियों को चुनने और उन्हें नियुक्त करने के लिए;

(4) सोसाइटी के उपयुक्त प्रशासन तथा इसके कार्मिकों के लिए सेवा नियमों को तैयार करना जिसमें नियुक्तियों का कार्यकाल, परिलब्धियां अनुशासन, के नियम और सोसाइटी के कर्मचारियों की अन्य सेवा–शर्तों तथा सोसाइटी के सदस्यों के कल्याण के लिए उपाय और सानुषंग शामिल है;

(5) स्थापना तथा निधियों, अनुदानों और भत्तों के प्रबन्ध और उसकी रक्षापना के लिए;

(6) सोसाइटी के लिए एक मुहर (सील) का चयन करने और इसकी सुरक्षा के लिए तथा मुहर (सील) के उपयुक्त प्रयोग के लिए;

(7) सोसाइटी का कार्य पूरा करने के लिए भवनों, आहातों, फर्नीचर तथा उपकरणों और अन्य अनिवार्य उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए;

(8) अन्य सभी मामलों के लिए, जो सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा इसके कार्यों के उपयुक्त प्रशासन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० एस० राजपूत, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th December 1989

No. 93-Pres/89.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :

Name and rank of the officer

Shri Ram Nandan Sharma,
Sub-Inspector of Police,
Giridh, Bihar.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 18th July, 1988, at about 4.00 P.M., a daring robbery was committed on Tenughat Gomia road in which three criminals, after committing the robbery, escaped on looted motor-cycle. On hearing an alarm raised by the local people, the criminals abandoned the moter-cycle and took shelter in the surrounding area. Later on, it was known that the criminals were hiding in a house in village Karmatand and on being challenged by the villagers they fired shots at random and escaped from the village. By then the Police had cordoned off the entire area and were looking for the criminals whose description had been given. Suddenly Sub-Inspector Ram Nandan Sharma and Constable Suleman saw a person resembling with the description, on the Tenughat barrage road, where he was trying to conceal himself. On being challenged, the stranger started running. Sub-Inspector Ram Nandan Sharma also ran after the criminal. In the course of chase, the criminal suddenly stopped, turned back and fired four shots at Shri Ram Nandan Sharma, who sustained grievous injuries on his chest, thigh and private parts. Undaunted, Shri Ram Nandan Sharma pulled out his service revolver and fired three shots at the criminal, killing him on the spot. The criminal was identified as Raju alias Anil Kumar Jaiswal, against whom a number of murder/dacoity cases including murder of a Police Havildar were pending. One Webly and Scot revolver of .32 bore, made in England, was recovered from the dead criminal. Shri Ram Nandan Sharma was then removed to Bokaro General Hospital and then to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for treatment.

In this encounter, Shri Ram Nandan Sharma, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th July, 1988.

No. 94-Pers/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :

Name and rank of the officer

Shri Paras Nath Singh
Constable No. 294,
District Siwan,
(Bihar).

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 15th April, 1985, Officer-in-Charge, Police Station Nairwa, District Siwan received information that dacoit Bali Ram Pandeya of District Balia, alongwith his associates, was hiding in the house of one Nand Kishore Dubey of village Barka Manjbi and was planning to commit a dacoity in the house of one Shri Puja Singh of village Sewatapur. The Officer-in-charge, Police Station Mairwa immediately organised a raiding party, consisting of one Assistant Sub-Inspector of Police, Constable Paras Nath Singh and nine other police personnnel and rushed to the place of hiding.

When the police party reached near the house of Shri Dubey, the house-wife, on seeing the policemen, bol the door from inside. Without losing time, the police party broke open the door and entered the house. Sudden appearance of police completely demoralised the gang of dacoits who were hiding in the house. The dacoits opened fire causing injury to the Officer-in-charge, who, in turn ordered his men to take positions and return the fire. The exchange of fire continued for some time, in the course of which one dacoit viz. Acchelal succeeded in snatching the gun of Assistant Sub-Inspector of Police. On seeing this, Constable Paras Nath Singh, who was also injured from the pellets, showed extraordinary courage and determination, went ahead and fired from his musket causing injury to dacoit Acchelal, who succumbed to his injuries on the spot. Due to this bold action of Constable Paras Nath Singh, the life of Assistant Sub-Inspector was saved and his gun was recovered. The Officer-in-charge also succeeded in over-powering the leader of the gang, viz. dacoit Bali Ram Pandeya, after inflicting five wounds on his person with his service revolver. One country made gun and 15 cartridges were recovered from the possession of Bali Ram Pandeya and Acchelal.

In this encounter, Shri Paras Nath Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special alowance admissible under rule 5, with effect from the 15th April, 1985.

No. 95-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :

Name and rank of the officer

Shri Mithilesh Kumar,
Inspector of Police,
Jamtara Circle,
District Dumka,
Bihar.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the intervening night of 8th/9th May, 1988, at about 3.30 A.M., Inspector Mithilesh Kumar heard shouts of Chowkidar Mahawar of Police Station Jamtara, about a dacoity being committed in the godown of Minor Irrigation Department, Jamtara. He immediately rushed to the Police Station in a jeep and from there with four armed Constables reached at the place of occurrance. He saw a truck rushing out of the godown with some persons on it. The truck driver was signalled to stop but he drove it further towards Jamtara-Dumka road. Shri Mithilesh Kumar, who was driving the jeep himself, started chasing the truck. When he tried to overtake the truck, it so moved as to cover both sides of the road. In an attempt to halt the pursuit, one of the criminals fired at the Inspector from the truck. When the criminal saw that the police jeep was not leaving the trail of the truck, he fired further shots on the jeep near Bagdaha turning. Shri Mithilesh Kumar also returned the fire from his revolver. The truck turned towards Nala-Fatehpur road. The truck driver was not very conversant with the road and the criminals were losing their nerves seeing the police jeep following them. The driver turned the truck towards Fatehpur Out Post but could not proceed further beyond Fatehpur Bazar Chowk. The criminals tried to escape from the truck after firing a few shots at the Police jeep but Shri Mithilesh Kumar again fired at them from his service revolver. Firing between the criminals and the police party continued for sometime. Even then the criminals did not surrender and during the course of a scuffle between the criminals and the police party, 16 criminals were over-powered. About four or five criminals managed to escape under the cover of darkness.

During the exchange of fire 2 criminals received bullets injuries and one criminal received injury in the scuffle. Two Constables were also injured. On examination of the truck it was found that 48 pieces of G.I. Pipes worth Rs. one lakh were loaded on it.

In this encounter, Shri Mithilesh Kumar, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th May, 1988.

No. 96Pers/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Mal Singh,
Inpector No. 680413552,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Abdul Rehman,
Lance Naik No. 710121244,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Suresh Kamble,
Constable No. 800643597,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

On the 11th January, 1988, information was received at the Headquarters of 12 Battalion, Central Reserve Police Force, Rayya, District Amritsar that dreaded terrorist Gurbachan Singh Manochahal alongwith his associates was camping in the farm house of one Puran Singh near village Butt. Immediately Assistant Commandant of 12 Battalion, Central Reserve Police Force, alongwith three sections (including Inspector Mal Singh, Lance Naik Abdul Rehman and Constable Suresh Kamble), rushed towards the place of hidding. Enroute, Station House Officer, Police Station Jandiala and few policemen also joined the Central Reserve Police Force party. The farm house of Puran Singh is located in an open filed near an irrigation drain at a distance of about one kilometre from village Butt. In order to maintain surprise the Police vehicles were stopped near village Butt and the police force was divided into four groups of encircle the farm house. The first group consisting of Inspector Mal Singh, L/Naik Abdul Rehman and Constable Suresh Kamble was detailed to advance from the right flank and position themselves on the bank of drain and to act as a cut-off group. The other groups followed the first group. On seeing the police party the terrorists immediately opened fire with automatic weapons and ran towards the drain. The first to escape on a houseback was believed to be Gurbachan Singh Manochahal. The remaining five terrorists continued firing on the police party while fleeing. The police party immediately returned fire and chased the fleeing terrorists. Meanwhile, the terrorists crossed the drain and ran towards village Bhancheri taking advantage of the standing crop. Inspector Mal Singh, Lance Naik Abdul Rehman and Constable Suresh Kamble were the first to cross the drain and gave a hot chase to the terrorists. While running, the terrorists turned back and fired at the police party. Undeterred and unmindful of their personal safety, they continued their chase. Three of the terrorists escaped towards village Bhancheri, whereas the remaining two took position in the fields. Suddenly one of the terrorists got up from the crop and fired a burst of 8—10 rounds towards Inspector Mal Singh and Constable Suresh Kamble. Fortunately none of the bullets hit them although both of them were within the range and fully exposed. Without giving any chance to the terrorists to fire again Shri Mal Singh and Shri Suresh Kamble simultaneously fired at the terrorists and shot him dead.

Meanwhile Lance Naik Abdul Rehman spotted and chased the other terrorist. The terrorist after taking position threw a grenade, which exploded at a distance of about 20 yards from Lance Naik Abdul Rehman, who took lying position with a lightening speed and escaped unhurt. Shri Abdul Rehman crawled for about 30—35 yards through a narrow drain and hurled a HE-36 hand-grenade towards the terrorist. He also fired few shots on the terrorist, as a result the terrorist was killed on the spot. The terrorists killed in the encounter were later identified as Daya Singh and Balbir Singh, who were wanted by police in a large number of heinous crimes.

In this encounter Shri Mal Singh, Inspector of Police, Shri Abdul Rehman, Lance Naik and Shri Suresh Kamble, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule , with effect from the 11th January, 1988.

No. 97-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Daya Ram,
Lance Naik No. 690242953,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Suresh Prasad Singh,
Constable No. 850841415,
24 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 7th December, 1987 a patrol party under the command of Inspector B. S. Bisht, 24 Battalion, Central Reserve Police Force alongwith a police party (including Lance Naik Daya Ram and Constable Suresh Prasad Singh) went to check villages Harshachbina, Bagga Khurd, Jhanjoti, Tulanangal and Barnali. When the police party was near village Bagga on Lahore Canal road, they spotted three persons approaching from opposite direction. On seeing the police jeep, they started running in different directions. All the police personnel jumped from the jeep and started chasing the suspects, Lance Naik Daya Ram and Constable Suresh Prasad Singh, alongwith three others chased the two terrorists, who were heading towards village Shina Shahbajpur, whereas the Inspector alongwith one Constable, chased the third terrorist, who was running along canal towards village Tulanangal. The terrorists had brought out their weapons concealed under shawls and started firing on the police party. Lance Naik Daya Ram with his party kept on chasing the terrorists resulting in intermittent exchange of fire. While fleeing one of the terrorists entered village Shina Shahbajpur and other ran towards open fields. Lance Naik Daya Ram and Constable Suresh Prasad Singh followed the terrorist, who entered the village. The remaining police personnel chased the other terrorist.

The terrorist, who entered the village took position behind the boundry wall of a house and started firing from his stengun on the police party. Shri Daya Ram and Shri Suresh Prasad Singh stealthily closed in using natural cover. When both of them reached a point from where they could effectively engage the terrorist, Shri Daya Ram ordered Constable Suresh Prasad Singh to enter the house from opposite direction in order to dislodge the terrorist from his hideout. Meanwhile he kept the terrorist engaged by constant firing. This enabled Constable Suresh Prasad Singh to approach the house unnoticed. As he scaled the boundry wall, he was noticed by the terrorist and was fired upon. Tow bullets hit on his thigh but without caring for bullet injuries, he immediately reacted and before the terrorist could fire again, he fired three shots from his S.L.R. into the terrorist's head. The terrorist was killed on the spot. The dead terrorist was later identified as Kuldeep Singh, who was wanted by the police in more than two dozen murder cases.

In this encounter Shri Daya Ram, Lance Naik and Shri Suresh Prasad Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th December, 1987.

N. 98-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Surinder Singh.
Sub-Inspector of Police,
(No. 136/FR),
Ferozepur,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 31st October, 1987, Shri Surinder Singh, Sub-Inspector of Police, Incharge Police Post, Kot-Ise Khan, heard shots of gun fire at about 1.30 P.M. in the market while on duty. He alongwith available force and a contingent of Central Reserve Police Force left for the scene of occurrence. On reaching the spot he was informed that three scooter borne youths had shot dead Comrade Ram Kishan and injured 3/4 persons and ran away. Shri Surinder Singh, Sub-Inspector, lost no time and chased the fleeing extremist, When the Police Party reached near the scooter, the extremist sitting at the rear fired at the Police. A bullet hit Shri Surinder Singh on the right side of abdomen but he continued his pursuit and directed his his party to fire at the extremists. As a result of effective firing by the Police Party one of the accused was killed and fell down from the scooter. The killed extremist was later identified as Sukhwinder Singh of Police Station Dharamkot.

The remaining extremists after abandoning the scooter started running in the fields and took position in a Kotha in which tube-well was installed and started firing at the chasing police party. After exchange of fire which lasted for 15 minutes, one extremist was found dead who was later identified as Jagroop Singh. However, the third extremist managed to escape.

In this encounter Shri Surinder Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1987.

No. 99-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Indo-Tibetan Border Police :

Name and rank of the officer

Shri Harendar Singh,
L/NK, X Bn.,
Indo-Tibetan Border Police,
Merthi,
District Pithoragarh.

Shri Om Prakash,
Constable, X Bn.,
Indo-Tibetan Border Police,
Merthi,
District Pithoragarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 7th January, 1989, at about 4.30 A.M., when some members of Army/SPF patrol party were sleeping in their temporary accommodation/bunkers, a strong blizzard swept over Bugdiyar area and in its wake a snow avalanche came engulfing and crushing the Army/SPF temporary accommodation and bunkers and burying all the Army/SPF personnel within few moments who were sleeping inside. They were completely overpowered by shock and were not able to come out of the deep snow. There was heavy snowing accompanied by lightening and thunder devastation. On hearing the sound of avalanche, Subedar Pitambar Dutt, leader of the Indo-Tibetan Border Police party woke up from sleep and alongwith L/NK. Harendar Singh, Constable Om Prakash and other members of the team reached the site of accident to resue the members of Army/SPF patrol party who were burried under the avalanche and were crying for help. Despite waist deep snow, the Indo-Tibetan Border Police party struggled for hours together with relentless efforts and search. They were able to *extricate 6 men* of the Army/SPF from the snow. When the rescue team was searching the remaining members of the Army/SPF, suddenly another avalanche of the same intensity came and buried the area of the camping. Thus it became impossible to rescue the remaining members who were still under the avalanche.

Finding the situation beyond their control, Subedar Pitamber Dutt suggested to the personnel to go back to Lilam by making endeavours to open the route. Thereafter, L/NK Harendar Singh and Constable Om Prakash volunteered themselves to go to Lilam post to inform the SPF personnel at Lilam camp. After their continuous efforts and struggle for 5 days they reached Lilam SPF camp, on the 14th January, 1989 at 1815 hours and informed about the disaster and calamity that occurred at Budiyar. Immediately, Army/SPF men rushed to the site of accident and saved the lives of the remaining injured and other personnel of Army/SPF and Indo-Tibetan Border Police personnel who were waiting for help since 7th January, 1989.

In this rescue operation Shri Harendar Singh, Lance Laik and Shri Om Prakash, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th January, 1989.

No. 100-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Bhupinder Singh (Posthumous)
Delhi Police.
Constable No. 1507/NW.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th December, 1988, when Constable Bhupinder Singh, alongwith Constable Onkar Singh, was on patrolling duty in the area of Police Station Jahangirpuri, he noticed three bad characters named Madan Lal, Sardari Lal and Mohan Dass, indulging in selling of smack. Constable Bhupinder Singh told them that there were complaints against them for selling of smack, they should accompany them to the Police Station Jahangirpuri, and that they are to be produced before the Station House Officer. All the three accused resisted and a scuffle took place. Both the Constables tried to over-power them but in the meantime, Madan Lal whiped out a dagger and stabbed Constable Bhupinder Singh on the left side of the chest and ran away. Without caring for his injury, Constable Bhupinder Singh tried to chase them for about 20-25 yards but due to excessive bleeding, he collapsed on the ground. The assailants also tried to attack Constable Onkar Singh but he saved himself with the help of a lathi and raised an alarm. Constable Onkar Singh also chased them but they ran towards DDA Flats and escaped under the cover of darkness. Constable Bhupinder Singh was rushed to Hindu Rao Hospital, where he succumbed to his injuries.

In this incident Shri Bhupinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the ward of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under 5, with effect from the 6th December, 1988.

No. 101-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and rank of the officer

Shri Gurjant Singh,
Head Constable (No. 1019/LDH),
Ludhiana District,
Punjab.

Shri Chanchal Singh (Posthumous)
Constable (No. 2010/LDH),
Ludhiana District,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the evening of the 23rd June, 1988, Shri Gurjant Singh, Head Constable and Shri Chanchal Singh, Constable, were on patrol duty. When they reached in front of Kothi of Sangit Cinema owner in the jurisdiction of Police Station Division No. 6, Ludhiana, two Sikh youths fired upon them. Both the Police officers returned the fire with their stengun and revolver. As a result of cross firing, Head Constable Gurjant Singh received injuries and one of the two assailants fell down. The other one ran away from the scene towards Partap Chowk. Constable Chanchal Singh, who was also injured, chased the fleeing terrorist but could not go far. He fell down and succumbed to his injuries. Head Constable Gurjant Singh was removed to Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana in a serious condition due to bullet injuries. The dead terrorist was identified as Manjit Singh alias Jiti, resident of Police Station Payal, District Ludhiana. He was involved in five criminal cases. A .38 bore revolver alongwith three live and three empty cartridges was recovered from the deceased Manjit Singh.

In this encounter Shri Gurjant Singh, Head Constable and Shri Chanchal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the ward of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th December, 1988.

RAJIV MEHRISHI
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th October 1989

No. F.16(19)-PD/89.—Government of India hereby makes the following amendment in the Special Deposit Scheme for non-Government provident, superannuation and gratuity funds announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs Notification No. F. 16(1)-PD/75, dated 30th June 1975 as extended by its Notification No. F. 16(8)-PD/84 dated 12-6-1985. The amendment will come into force from 1st January, 1990.

For paragraph 6, as modified vide notification No. F. 16(12)-PD/86 dated 29-10-86, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"6. Interest will be allowed on the summation of daily balances from the actual date of deposits at the rate notified by the Central Government from time to time. Interest will be paid on 1st January each year provided that in case of refunds of a deposit before the termination of the Scheme, stipulated in paragraph 9 below, or on termination of the Scheme,stipulated in paragraph 10 below, interest for any remaining period will be paid along with the amount of the deposit.

Provided, however, the rate of interest specified above is liable to be charged and may be altered by the Central Government at any time without previous notice, if, in the opinion of the Government of India, such a modification becomes necessary. Any alternation in the rate of interest will, however, be applicable prospectively as from the date or dates to be announced by the Central Government in this behalf."

A. S. RAY, Dy Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 21st November 1989

RESOLUTION

Subject :—Establishment of "National Open School Society".

No. F. 6-2/89-Sch.3.—Government of India hereby resolve to establish "The National Open School Society" for proper development of Distance and Open Learning System at the school level.

2. *Aims and Objects*

The aim and objects for which the Society is established are the following :—

(i) to provide sound professional advice to the Government of India and to the States, regarding the proper development of Distance and Open Learning System, at the School Level, in the country, in response to requests from the Governments concerned;

(ii) to develop and prescribe or offer a wide spectrum of courses of study, for purposes of general and continuing education, either leading to certification at the school stage (middle, secondary or senior secondary) or without certification;

(iii) to develop and prescribe or offer vocational courses to the students of the Open Channel;

(iv) to develop study materials, using print, audio and video aids;

(v) to collaborate with agencies and institutions who would be willing to provide learning assistance to the students and to accredit such Learning Support Centres or Study Centres;

(vi) to establish Regional Centres, for purposes of supervising the proper functioning of the Learning Support or Study Centres;

(vii) to publish or cause to be published and to print the learning and other materials developed by the National Open School;

(viii) to prescribe rules and conditions governing the registration of students, eligibility to appear at the examinations, and all other matters consonant with, and necessary for, the proper fulfilment of teaching;

(ix) to prescribe and demand payment of such fees and other charges as may be authorised by the Rules, and as amended from time to time.

(x) to take over the administration and management of the Open School of the Central Board of Secondary Education, New Delhi, with all its assets and liabilities and to amalgamate it with the Society;

(xi) to frame Service Rules and bye-laws for the personnel, administration of the Staff of the Society and Rules and bye-laws for the proper management of the several functions and responsibilities vested in the Society, including welfare measures for the staff and to amend these from time to time;

(xii) to do all such lawful acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the Aims and Objects of the Society.

3. The Society shall be an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860.

4. The Society shall consist of the following :—

(a) Chairman of the National School who shall be appointed by the Government of India, on such terms and conditions as the Government may decide.

(b) Vice Chairman of the National School, who will be the Director (Academic) and designated, ex-officio, as Vice-Chairman.

(c) Secretary of the National School, who will be ex-officio, the Secretary of the Society.

(d) Heads of the Departments of the National School, namely ;

Director (Academic)
Secretary (Administration)
Controller of Examinations.

(e) Nominee of Department of Education, Ministry of Human Resource Development.

(f) Nominee of the Integrated Finance Division of the concerned Ministry/Department, Government of India.

(g) One representative of N.C.E.R.T.

(h) One representative of N.I.E.P.A.

(i) One representative of C.B.S.E.

(j) Three nominees, one each from the Ministry of Information and Broadcasting, from Doordarshan and All India Radio.

(k) Nominee of the Department of Women and Child Development.

(l) Nominee of the Ministry of Welfare.

(m) A representative of the Indira Gandhi National Open University,

(n) Director General or nominee of the National Literacy Mission Authority.

(o) Nominee of the Vice-Chancellor, Delhi University.

(p) Nominee of Secretary (Education), Delhi Administration.

(q) Director/representative of the Open Schools/Correspondence Schools in the States.

(r) Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan or nominee.

(s) Director, Navodaya Vidyalaya Samiti or nominee.

(t) Nominee of the Vice-Chancellor of SNDT, Bombay.

(u) Two representatives from industries which are linked with the vocational courses provided by the National School.

(v) All the members of the Executive Board, not included above.

(w) Two specialists/eminent educationists, to be nominated by the Central Government.

5. The members of the Society shall be members of the General Body of the Society. The Society shall be supported by the funds placed at its disposal by the Government of India.

6. The General Body shall have vested with it the responsibility to assist the Society by providing sound and professional advice and counsel. Further, there shall be an Executive Board which will have the power to make and frame bye-laws which without prejudice to the generality of the foregoing provisions may provide for the following :—

(i) For the preparation and sanction of budget estimates, the sanctioning of expenditure, making and execution of contracts, the investment of the funds of the Society and the sale or alteration of such investment, and account and audit;

(ii) Define the powers, function and conduct of business of the various Committees, as are constituted by it from time to time and the terms of office of their members;

(iii) For creating various categories of posts, academic administrative, technical, supervisory or ministerial, and for selecting and appointing persons to such posts;

(iv) To frame Service Rules for the proper administration of the Society and of its personnel, including terms of tenure of appointments, emoluments, allowances, rules of discipline and other conditions of service of the employees of the Society as well as measures and norms for the welfare of the members of the Society;

(v) For the establishment and mangement of funds, grants and allowances;

(vi) To select a seal for the Society and provide for the safe custody and for proper use of the seal;

(vii) To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other necessary equipment and facilities for carrying out the work of the Society;

(viii) For all other matters, as may be necessary for the furtherance of the objectives of the Society and for the proper administration of its affairs.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. S. RAJPUT, Jt. Educational Adviser

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, AND
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 1989